एस. एल.	तिथि	कार्यालय टिप्पणी, संख्या रिपोर्ट, आदेश या कार्यवाही या दिशाएँ और निबंधक के साथ आदेश हस्ताक्षर के साथ	न्यायालय या न्यायाधीश के आदेश
			2023 का एबीए संख्या 128 <u>माननीय मनोज कुमार तिवारी, ए. सी. जे.</u> (1) श्री विकास आनंद, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता । (2) श्री राकेश कुमार जोशी, उत्तराखंड राज्य के लिए विद्वान ब्रीफ होल्डर। (3) श्री नवनीत कौशिक, शिकायतकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता। (4) आवेदक को पुलिस स्टेशन कोतवाली ज्वालापुर, जिला हरिद्वार में दर्ज भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120-बी के तहत 2020 की एफआईआर संख्या 0017 के संबंध में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है। इसलिए, वह अग्रिम जमानत चाहती है । (5) आवेदक के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि प्राथमिकी बहुत देर से दर्ज की गई है, जो कथित घटना के 14 साल बाद दर्ज की गई थी और इसी तरह के अपराध के लिए, वर्ष 2004 में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत एक और प्राथमिकी दर्ज की गई थी, अर्थात् 2004 की एफआईआर संख्या 426 और उक्त अपराधों के संबंध में विचारण अभी भी लंबित है। आवेदक के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि उसने सार्वजनिक/सरकारी भूमि के संबंध में बिक्री/खरीद लेनदेन में प्रवेश किया। यह भी तर्क दिया गया है कि कथित अपराधों के लिए अधिकतम सजा सात साल तक है, इसलिए, आवेदक *अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य* मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का लाभ पाने का हकदार है, जैसा कि ***(2014) 8 एससीसी273*** में रिपोर्ट किया गया है। (6) शिकायतकर्ता के विद्वान वकील श्री नवनीत कौशिक ने स्वीकार किया कि *अर्नेश कुमार* के मामले में जारी किए गए दिशानिर्देश मौजूदा मामले में लागू होते हैं। (7) विद्वान राज्य वकील का निष्पक्ष रूप से कहना है कि चूंकि अपराध में सात साल तक की सजा का प्रावधान है, इसलिए, जांच अधिकारी सीआरपीसी की धारा 41-ए के संदर्भ में आवेदक को नोटिस देगा और, उक्त नोटिस की शर्तों का पालन करते हुए, आवेदक को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

			(8) हालांकि, आवेदक के विद्वान वकील का कहना है कि चूंकि आवेदक के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है, इसलिए, जमानत आवेदन का निर्णय सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के संदर्भ में किया जा सकता है, जो (2021) 10 एससीसी773 में रिपोर्ट किया गया। (9) इस मामले को ध्यान में रखते हुए, अग्रिम जमानत आवेदन का निपटारा संबंधित अदालत से इस अनुरोध के साथ किया जाता है कि वह सतेंद्र कुमार अंतिल ***(ऊपर)*** के मामले में निर्धारित कानून के आलोक में आवेदक के जमानत आवेदन को सुना जाए और निर्णय लिया जाए। **(मनोज कुमार तिवारी, ए. सी. जे)** 08.12.2023 असवाल